[27/2/2026]

प्रश्न सं. [क्र. 2938]

परिशिष्ट - 1

(1)

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अंतिम दिनांक 19.02.2026

वर्ग :- 4

सदन में उत्तर देने का दिनांक :- 27.02.2026

विभाग का नाम :- लोक निर्माण

विषय: अपूर्ण सड़क निर्माण संबंध में।

(अतारांकित प्रश्न क्रमांकः 2938) द्वारा माननीय विधायक श्री घनश्याम चन्द्रवंशी

क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र.	विधानसभा प्रश्न	विधानसभा उत्तर
(क)	कालापीपल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तहसील मुख्यालय अवन्तिपुर बडौदिया से गिगलाखेडी के बीच सड़क एवं नेवज नदी पर पुलिया निर्माण किस ठेकेदार/एजेन्सी द्वारा किया ?	ग्राम गिगलाखेडी मार्ग का निर्माण कार्य MPRCP योजना के पैकेज क्रमांक MP39WB09 अंतर्गत वर्ष 2019 में किया गया था। चूंकि MPRCP योजना अंतर्गत पूर्व से निर्मित ग्रेवल मार्ग को ही डामरीकृत किये जाने का प्रावधान था, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा पूर्व से मेन रोड़ से नेवज नदी के पुलिया को छोड़कर, जिस भाग में ग्रेवल मार्ग का निर्माण गया था उसी भाग में MPRCP के प्रावधान अनुसार स्वीकृति पश्चात् डामरीकरण का निर्माण कार्य संविदकार मेसर्स रुद्राक्ष एसोसिएट्स, झांसी द्वारा कराया गया है। उक्त मार्ग वर्तमान में पैकेज क्रमांक MP39MTN108 पॉच वर्ष गारंटी अवधि अंतर्गत संधारित किया जा रहा है। नेवज नदी की पुलिया का कार्य इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
(ख)	प्रश्नांश (क) अनुसार मुख्य मार्ग से नेवज नदी की पुलिया के दोनों ओर सड़क निर्माण क्यों नहीं किया गया ? अपूर्ण मार्ग को पूर्ण प्रमाण पत्र किस अधिकारी द्वारा दिया गया ? क्या अपूर्ण रोड पूर्ण नहीं होने तक मुख्य मार्ग से उक्त गांवों को जुड़ा हुआ, विभाग द्वारा मान लिया गया है?	तत्समय मुख्य मार्ग से नेवज नदी की पुलिया के दोनों ओर ग्रेवल मार्ग का निर्माण कार्य नहीं था, MPRCP योजना के प्रावधान अनुसार ग्रेवल मार्ग को ही डामरीकृत किया जाना था। अतः नेवज नदी की पुलिया को छोड़कर जिस भाग में डामरीकरण का कार्य किया गया है, उसी का पूर्णता प्रमाण पत्र दिया गया है।
(ग)	प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार नेवज नदी पुलिया के दोनों ओर सड़क निर्माण नहीं होने से वर्षाकाल में नागरिकों, किसानों व स्कूल के विद्यार्थियों की असुविधा को देखते हुए मुख्यमंत्री सड़क/प्रधानमंत्री विभाग के अधिकारियों द्वारा सड़क निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की गई?	क्षतिग्रस्त/जलमग्न पुलों की पुर्ननिर्माण योजना के अंतर्गत उक्त नेवज नदी की पुलिया का नवीन निर्माण हेतु इस कार्यालय से प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित किया गया था, किन्तु ग्राम गिगलाखेडी की जनसंख्या कम होने के कारण प्रदेश स्तर पर तैयार 1766 क्षतिग्रस्त/जलमग्न पुलों की प्राथमिकता सूची में उक्त पुलिया को सम्मिलित नहीं किया गया है।
(घ)	क्या मुख्यमंत्री सड़क/ प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधिकारियों द्वारा उक्त मार्ग का स्थल निरीक्षण कर नेवज नदी पुलिया से दोनों ओर छोड़े गए मार्ग के निर्माण हेतु शीघ्र कार्यवाही की जायेगी ?	वर्तमान में नेवज नदी की पुलिया के दोनों ओर सड़क निर्माण का कार्य प्रस्तावित नहीं है।

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा.
परियोजना क्रियान्वयन इकाई
शाजापुर (म.प्र.)

D:\Vidhan Sabha VS 2026\...Answer No. 2938 ...

कायालय कायपालन यत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग-शाजापुर (म.प्र.)

ई-मेल :- eeresshajapur@mp.gov.in दूरभाष क्रं (07364)222192

क्रमांक/ 183 /व.ले.लि../ग्रां.या.सेवा/2026

शाजापुर, दिनांक 11.02.2026

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग
संभाग शाजापुर (म.प्र.)

विषय:-अपूर्ण सड़क निर्माण संबंध में। अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2938)
मानीय विधायक श्री घनश्याम चन्द्रवंशी

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक 355/स्था./2025-26 शाजापुर दिनांक 10/02/2026

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2938 अतारांकित प्रश्न का उत्तर बिन्दुवार तैयार किया जाकर निम्नानुसार सादर प्रेषित है -

क्र.	प्रश्न	उत्तर
क	कालापीपल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तहसील मुख्यालय अवन्तिपुर बडोदिया से ग्राम गिंगलाखेड़ी के बीच सड़क एवं नेवज नदी पर पुलिया निर्माण किस ठेकेदार /ऐजेन्सी द्वारा किया गया था ?	उक्त कार्य की एजेंसी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग शाजापुर द्वारा किया गया, जिसका संविदाकार श्री कैलाश मेवाड़ा द्वारा कार्य किया गया।
ख	प्रश्नांश (क) अनुसार मुख्यमार्ग से नेवज नदी की पुलिया के दोनों ओर सड़क निर्माण क्यों नहीं किया गया ?	नेवज नदी की पुलिया के दोनो ओर सड़क निर्माण का कार्य पैकेज क्रनांक 1912 में समावेश नही होने से निर्माण कार्य नही किया गया।
	अपूर्ण मार्ग को पूर्ण प्रमाण पत्र किस अधिकारी द्वारा दिया गया ?	उक्त कार्य के अभिलेखों अनुसार कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र तत्कालीन कार्यपालन यंत्री डी.के मघरिया, अनुविभागीय अधिकारी देवेश तिवारी, उपयंत्री पी.के. चौबे द्वारा जारी किया गया।
	क्या अपूर्ण रोड़ पूर्ण नहीं होने तक मुख्य मार्ग से उक्त गांवों को जुड़ा हुआ, विभाग द्वारा मान लिया गया है ?	उक्त मार्ग विभाग द्वारा वर्ष 2017 में म.प्र. ग्रामीण सडक को हस्तांतरित कर दिया गया था। अत: प्रश्न म.प्र. ग्रामीण सडक से संबंधित है।
ग	प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' अनुसार नेवज नदी पुलिया के दोनों ओर सड़क निर्माण नही होने से वर्षाकाल में नागरिकों, किसानों व स्कूल के विद्यार्थियों को असुविधा को देखते हुए मुख्यमंत्री सड़क/प्रधानमंत्री सड़क विभाग के अधकारियों द्वारा सड़क निर्माण हेतु क्या कार्यवाहीं की गई ?	उक्त प्रश्न विभाग से संबंधित नही है।
घ	क्या मुख्यमंत्री सड़क /प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधिकारियों द्वारा उक्त मार्ग का स्थल निरीक्षण कर नेवज नदी पुलिया से दोनों ओर छोडे गए मार्ग के निर्माण हेतु शीघ्र कार्यवाहीं की जायेगी ?	उकत प्रश्न विभाग से संबंधित नही है।

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग-शाजापुर (म.प्र.)

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

सड़क पूर्णता का विवरण

1	मण्डल :-	उज्जैन
2	जिला :-	शाजापुर
3	विकासखण्ड :-	शुजालपुर
4	पैकेज क्रमांक :-	1012
5	पूर्णता का दिनांक :-	जुलाई 2015
6	सड़क का नाम :-	अवंतीपुर बड़ोदिया से पिंगलाखेड़ी
7	सड़क की स्वीकृत लंबाई (कि.मी.) :-	5.00
8	स्वीकृत लागत (रू. लाख मे) :-	91.48
	अ मनरेगा (रू. लाख मे) :-	0
	ब बीआरजीएफ (रू. लाख मे) :-	0.00
	स राज्य आयोजना मद (रू. लाख मे) :-	91.48
9	स्वीकृत पुल–पुलियां :-	
	अ संख्या :-	6
	ब लागत (रू. लाख मे) :-	16.92
10	पूर्णता का विवरण :-	
	अ वास्तविक लंबाई (कि.मी.) :-	5.00
	ब निर्मित पुल–पुलियों की संख्या :-	6
	i सिंगल पाईप :-	0
	ii डवल पाईप :-	0
	iii फ्लश / वेनटेड काजवे :-	0
	iv 300 मिमी व्यास के कुलावा :-	0
	v पूर्व से निर्मित पुल–पुलिया (Existing) :-	0
11	नवनिर्मित पुल–पुलियों की लागत (रू. लाख मे) :-	0.00
12	मार्ग पर कुल वास्तविक व्यय (रू. लाख मे) :-	45.51
	अ मनरेगा (रू. लाख मे) :-	0.00
	ब बीआरजीएफ (रू. लाख मे) :-	0.00
	स राज्य आयोजना मद (रू. लाख मे) :-	45.51

प्रमाणित किया जाता है कि, इस सड़क का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है तथा कार्य की गुणवत्ता एवं नियंत्रण हेतु निर्धारित आवृत्ति (Frequency) में मापों एवं सामग्री परीक्षण का सत्यापन किया गया है। इस मार्ग मे आवश्यक सभी पुल–पुलियों का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 10 मी. से अधिक स्पान की पुल–पुलिया बनाना शेष नही है।

उपयंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
उपसंभाग शुजालपुर

अनुविभागीय अधिकारी
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
उपसंभाग शुजालपुर

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग शाजापुर

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल

Scanned with OKEN Scanner